



सरकारी यजद् उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-१, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 अप्रैल, 2005 ई०

बैशाख ०१, १९२७ शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 486/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 21 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 20-04-2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 17, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन

एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(अधिनियम सं० १७, वर्षे २००५)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत योग्य के छपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में
 यह अधिनियमित हो:-

१-(१) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियंत्रित करें।

रांकित नाम
 एवं प्रारम्भ

मूल अधिनियम
का संशोधन

2—उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2001), जिसे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है, में जहाँ—जहाँ
“सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय” शब्द आते हैं, वहाँ उन शब्दों के स्थान पर
“उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार” शब्द रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

आई० जे० मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 486/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, April 21, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 17 of 2005).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 20-04-2005.

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITY ACT, 1973)
(ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (THIRD AMENDMENT)
ACT, 2005

(Act No. 17 Of 2005)

*Further to amend The Uttarakhand (The Uttar Pradesh State University Act, 1973)
(Adaptation and Modification Order, 2001)*

AN
ACT

Be it enacted by the State Assembly of Uttarakhand in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title &
Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Third Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of
Principal Act

2. In The Uttarakhand (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001), herein after referred to as Principal Act, wherever the expression “Sampurnanand Sanskrit University” occurs, the words “Uttarakhand Sanskrit University, Hardwar” shall be substituted.

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.